ग्रेटरबॉम्बे और थाना जिले के लिए सुरक्षा गार्ड बोर्ड

बनाम

सिक्योरिटी एंड पर्सनल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड एवं अन्य

28/अप्रैल/1987

बेंच: न्यायाधिपति रेड्डी, ओ. चिन्नप्पा (जे) व न्यायाधिपति खालिद, वी.

महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण विनियमन) अधिनियम,1981: धारा 23 सपठित धारा 22 और 1(4)- अधिनियम से छूट- सुरक्षा एजेंसियों को इनकार या एजेंट- सरकार की वैधता हेतु कारण बताना आवश्यक है या नहीं।

प्रशासनिक क़ानून:

किसी क़ानून के प्रावधानों से छूट- इनकार- सरकार क्या कारण बताए।

महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम,1981 की धारा 1(4) के तहत जो सुरक्षा गाड्र्स, जो की कारखाने या स्थापना के प्रत्यक्ष और नियमित कर्मचारी नहीं है, हेतु विधि प्राव्धान्वित करता है। 'सुरक्षा गार्ड' को धारा 2(10) में परिभाषित किया गया है यथा वह व्यक्ति जो सुरक्षा कार्य करने वाली एजेंसी या एजेंट् द्वारा

सुरक्षा कार्य हेतु एंगेज किया गया हो। धारा 3 राज्य सरकार को नियोक्ताओं और सुरक्षा गार्डों का पंजीकरण और शर्तें और पंजीकृत सुरक्षा गार्डों के रोजगार की शर्तें और उनका सामान्य कल्याण हेतु योजनाएँ बनाने के लिए सशक्त करती है । धारा 22 संरक्षण का प्रावधान करती है- सुरक्षा गार्डों के मौजूदा अधिकार और विशेषाधिकार यदि वे उनके अधीन लोगों की तुलना में अधिक अनुकूल हैं| धारा 23 राज्य सरकार को सुरक्षा गार्ड इस अधिनियम या उसके तहत बनाई गई कोई योजना से छूट देने का अधिकार देती है|

सुरक्षा गार्ड बोर्ड का गठन धारा 6 के तहत किया गया था व निजी सुरक्षा गार्ड (विनियमन या' रोजगार एवं कल्याण) योजना, 1981 को भी इस अधिनियम को प्रभाव देने हेतु रचित किया गया था|

उत्तरदाताओं के आवेदन अधिनियम के प्रावधानों को राज्य द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है जिसके पश्चात उनके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिकाएँ दायर कीं जो की उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा खारिज कर दिया गया|

अपील पर, डिवीजन बेंच ने यह अभिनिर्धारित किया कि नीति के परिणामस्वरूप आवेदन अस्वीकार कर दिए गए थे व की किसी भी सुरक्षा एजेंसी को छूट नहीं देने का फैसला ग़लत था, छूट के लिए प्रत्येक आवेदन को अपने गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाए और उसे निस्तारित

किया जाए, और परिणामस्वरूप सरकार को आवेदन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया|

इन अपीलों में अपीलकर्ता सुरक्षा गार्ड बोर्ड की ओर से यह तर्क दिया गया था कि धारा 23 के अधिनियम में किसी सुरक्षा एजेंसी के पक्ष में छूट का अनुदान देना पर विचार नहीं किया गया व केवल इसी आधार पर आवेदन अस्वीकार करने के लायक है, व् सभी आवेदन को गुणावगुण पर निस्तारित किया गया है और न की किसी नीति के आधार पर| उत्तरदाताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि यदि धारा 23 को धारा 22 के आलोक में पढ़ा जावे तो यह प्रकट होता है की एजेंसी अधिनियम से संचालित होने से छूट मांग सकती है जहाँ भी सेवा की स्थिति बेहतर हो तथा इस अधिनियम द्वारा एजेंसी को समाप्त करने का प्रस्ताव नहीं दिया गया था या की एजेंसी व् सुरक्षा गार्डों के मध्य रोजगार अनुबंध समाप्त हो जाए या गार्ड का एजेंसी से फैक्ट्री या प्रतिष्ठान में स्थानांतरण बाबत|

न्यायालय, अपील को स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया

1. राज्य सरकार के आदेश जहाँ उत्तरदाताओं को अधिनियम के ऑपरेशन से छूट प्रदान करने से इनकार किया गया में किसी प्रकार का हस्तक्षेप आवशक नहीं है [32 जीएच]

2. अधिनियम की धारा 23 धारा सपठित धारा 1(4) व और 'सुरक्षा गार्ड' की परिभाषा अंतर्गत धारा 2(10) इसे स्पष्ट करता है यह छूट

नियोजित सुरक्षा गार्डों के संबंध में है जो की किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में या किसी वर्ग या वर्गों में कार्यरत है और न की एजेंसी या एजेंट के सम्बन्ध में, वास्तव में कार्यरत सभी सुरक्षा गार्ड- जो की किसी विशेष ग्रेड के है को फ़ैक्टरी में किसी विशेष प्रकार का कार्य करने हेतु छूट दी जा सकती है। पुनः, सभी सुरक्षा गार्ड जो की कपडा मिल जैसे कारखानों के एक वर्ग में कार्यरत हैं को छूट दी जा सकती है। सुरक्षा गार्डों या सुरक्षा के वर्गों का सहसंबंध कारखाने या प्रतिष्ठान या वर्ग या वर्गों के लिए है और न की वह एजेंसी या एजेंट जिसके माध्यम से और जिसके द्वारा वे नियोजित हैं। [30ए-डी]

3. प्रश्न बिल्कुल भी लोकस स्टैंडी का नहीं है बल्कि यह है कि किस या किस श्रेणी के सुरक्षा गार्डों को अधिनियम एवं योजना के संचालन से छूट दी जानी चाहिये है। किसी कारखाने में कार्यरत गार्ड या सुरक्षा गार्ड के वर्ग या प्रतिष्ठान या किसी वर्ग या कारखानों के वर्गों में उन्हें अधिनियम के संचालन से छूट देने के लिए सरकार से आवेदन कर सकते हैं। इसी तरह एक फैक्ट्री या एक प्रतिष्ठान या एक वर्ग या कारखानों के वर्ग या प्रतिष्ठान सुरक्षा गाड्र्स को अधिनियम के संचालन से छूट के लिए सरकार से आवेदन किया जा सकता है। जहां सुरक्षा गार्ड किसी एजेंसी या एजेंट के माध्यम से किसी कारखाना या प्रतिष्ठान या कारखानों का एक वर्ग या प्रतिष्ठान लगे हुए हैं या लगाए जाने वाले हैं, ऐसी एजेंसी या एजेंट भी

सरकार से छूट लेने के लिये आवेदन कर सकते हैं परंतु उनके माध्यम से लगाये गये सभी सुरक्षा गार्डों की छूट के लिये नहीं बल्कि ऐसे सुरक्षा गार्डों को छूट दी जाएगी जो किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में लगा हुआ है या कारखानों या प्रतिष्ठानों का वर्ग में लगा हुआ है। [30एच-31 ए; 30ई; जी; 31 एबी]

4. भले ही धारा 23 को धारा 22 के प्रकाश में पढ़ा जाता है लेकिन कोई भी एजेंसी अधिनियम के संचालन से उनके माध्यम से कार्यरत सभी सुरक्षा गार्डों छूट नहीं मांग सकती। धारा 22 प्रभावी रूप से वह अधिकार है जिससे तहत किसी भी पंजीकृत सुरक्षा गार्ड के विशेषाधिकार उसके नुकसान के लिए बदल नहीं सकते दिया गया है, जिसका अर्थ केवल इतना है कि यदि अब तक एजेंसी के एक कर्मचारी के रूप में उसके नियम और शर्तें सेवा कुल मिलाकर अधिनियम और योजना द्वारा प्रदत्त सेवा की शर्तें कारखाने या प्रतिष्ठान के अंतर्गत शर्तों से अधिक आकर्षक थी तो मूल शर्तें और सेवा की शर्तें बरकरार रहेंगी और लागू होंगी और कारखाने या प्रतिष्ठान के अंतर्गत उनकी सेवा के लिए सक्षम होंगी। [31बी-डी]

5. अधिनियम और योजना एजेंसी और सुरक्षा गार्ड के बीच रोजगार का अनुबंध को समाप्त करने का प्रावधान देती है, और आवश्यक निहितार्थ से बोर्ड द्वारा सुरक्षा गार्डों की सेवा कारखाने या प्रतिष्ठान को आवंटन कर उनका स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह उस शैली में, अन्य बातों के

अलावा, वह सुरक्षा है जिससे सुरक्षा गार्डों की सेवा सुरक्षित रहती है। [31-डे]

6. इस प्रकृति के मामलों में जहां अधिनियम के संचालन से छूट मांगी गई है, यह आवश्यक नहीं है कि सरकार इसके कारण बताये। बेशक अगर कोई दुर्भावना या मनमानी का आरोप है तो न्यायालय यह देख सकता है कि इस मामले में यह पता लगाने के लिए कि क्या कोई दुर्भावना थी या नहीं या फिर कि सरकार का इनकार मनमाना था। त्वरित मामला में वहाँ कोई ऐसी कारण नहीं था। [32 जीएच]

7. प्रत्येक मामले की खूबियों पर सरकार ने पूरी तरह से विचार किया गया और आवेदनों को खारिज कर दिया गया क्योंकि उनकी नीति में छूट न देना सुरक्षा गार्डों का हित में नहीं था। कोई इस प्रकार निर्णय नीति पूर्वनिर्धारित नहीं थी। [32 एफ]

8. प्रत्येक व्यक्ति पंजीकृत सुरक्षा गार्ड था जो पहले किसी फैक्ट्री या प्रतिष्ठान में कार्यरत होंगे उन्हें उन्हीं कारखाने या प्रतिष्ठान को आवंटित किया गया है और यदि उसकी सेवा के नियमों और शर्तों का कुल पैकेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सेवा के नियम एवं शर्तों से बेहतर थे ऐसे व्यक्ति को पूर्व में नियोजित सेवा के नियम एवं शर्तें पर भर्ती किया जायेगा[33 सीडी]

9. किसी संघ द्वारा प्रायोजकता से पहले रजिस्ट्रेशन योजना के अंतर्गत 'कैपिटेशन शुल्क' वसूलना अधिनियम या योजना के तहत अनुमति

नहीं है।[33ई]

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 1926-50/1986

बॉम्बे हाई कोर्ट की ओ.एस. अपील संख्या 616, 673,674 से 692, 694 और 725/1985 में निर्णय और आदेश दिनांक 20.02.1986 से

सोली जे सोराबजी, केके सिंघवी, एके गुप्ता, बी भूषण, एनपी मोहिंदरा, जेपी कामा, मुकुल मुद्गल, एएम खानविलकर, केवी मुरुप मेनन, श्रीमती वीडी खन्ना, एमजी रामचंद्रन, प्रताप एच. टोपरानी, संजीव आनंद और एएस भस्मे पार्टियाँ की ओर से।

न्यायालय का निर्णय **न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी** द्वारा सुनाया गया।

न्यायाधिपति चिन्नप्पा रेड्डी- ऐसा प्रतीत होता है कि ग्रेटर बॉम्बे और ठाणे औद्योगिक परिसर में विभिन्न कारखानों और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करने वाले लगभग 70,000 व्यक्तियों की सेवा शर्तों के बारे में गंभीर शिकायतें थीं, जिनमें से अधिकांश जिन्हें उन क्षेत्रों में सक्रिय लगभग 250 सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से नियोजित किया गया था। शिकायतें न केवल एजेंसियों द्वारा उन्हें दिए जाने वाले अपर्याप्त पारिश्रमिक से संबंधित थीं, बल्कि सेवा की असुरक्षा और अन्य प्रकार के शोषण से भी संबंधित थीं। शोषण की सीमा का पता लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक नमूना सर्वेक्षण सुरक्षा गार्डों की सेवा शर्तों के

संबंध में जानकारी सुरक्षित करने के लिए किया गया था -नमूना सर्वेक्षण से पता चला कि अधिकांश एजेंसियां दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं थीं.केवल एक पंजीकृत यूनियन थी लेकिन उस यूनियन की सदस्यता केवल 2200 थी। यह पाया गया कि अधिकांश सुरक्षा गार्डों को किसी भी भविष्य निधि योजना या ग्रेच्युटी की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला। उनमें से अधिकांश कर्मचारी राज्य बीमा योजना के दायरे में नहीं थे और उनके पास कोई चिकित्सा सुविधा नहीं थी। छुट्टी की सुविधाएँ अपर्याप्त थीं। विश्राम अंतराल ठीक से प्रदान नहीं किया गया। मज़दूरी कम थी और केवल कुछ एजेंसियां ही ओवर-टाइम और बोनस का भुगतान करती थीं। उनमें से अधिकांश के पास पीने के पानी की सुविधा, कैंटीन की सुविधा या परिवहन की सुविधा भी नहीं थी। बहुत कम प्रतिशत गार्डों को रहने के लिए क्वार्टर उपलब्ध कराए गए थे। यह अनुशंसा की गई कि असुरक्षित सुरक्षा गार्डों के शोषण को रोकने और उन्हें बेहतर सेवा शर्तें प्रदान करना नितांत आवश्यक है। नमूना सर्वेक्षण करने वाली समिति की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार ने महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अध्यादेश जारी किया। अध्यादेश को महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण का विनियमन) अधिनियम, 1981 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और अपील के लिए

विशेष अनुमति की याचिका दायर की गई सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय में दायर विभिन्न रिट याचिकाओं में अधिनियम की वैधता को चुनौती दी गई थी। उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय में संविधान की धारा 136 में विशेष अनुमति याचिका 5 जनवरी 1983 को दायर की गई जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देश दिये:

"ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ याचिकाकर्ताओं ने निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण विनियमन) योजना, 1981 के प्रावधानों के संचालन से उन्हें छूट देने के लिए राज्य सरकार को आवेदन किया है और वे आवेदन विचाराधीन हैं इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि उपरोक्त योजना जनवरी 1983 के अंत तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ लागू नहीं की जाएगी। राज्य सरकार को 31 जनवरी, 1983 से पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए सभी आवेदनों का निपटान करना चाहिए।"

इस आदेश को बाद में निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया गया:

"5 जनवरी, 1983 के आदेश क" □ये विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज की जाती हैं" शब्दों के बाद आदेश के पूरे हिस्से को हटाकर संशोधित किया गया है। योजना को तुरंत लागू किया जाएगा"

विद्वान एकल न्यायाधीश के निर्णय में, जिसने प्रारंभ में रिट

याचिकाओं का निस्तारित किया- विद्वान न्यायाधीश ने माना था कि सुरक्षा एजेंसियों अधिनियम के प्रावधानों के संचालन से छूट प्राप्त करने में सक्षम थी। इस अधिनियम के प्रावधानों से छूट देने के लिए अधिनियम की धारा 23 के तहत 139 सुरक्षा एजेंसियों ने सरकार के पास आवेदन किया था। इन आवेदनों की सबसे पहले सलाहकार समिति ने जांच की, जिसने सिफारिश की कि 21 एजेंसियों को छूट दी जा सकती है। चार अन्य एजेंसियों के मामलों की, जिनकी सलाहकार समिति द्वारा अनुशंसा नहीं की गई थी, फिर से श्रम आयुक्त द्वारा जांच की गई, जिन्होंने सिफारिश की कि इन चार एजेंसियों को भी अधिनियम के प्रावधानों से छूट दी जा सकती है। 28 जून 1984 को, महाराष्ट्र सरकार ने अंततः विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा दायर छूट के सभी आवेदनों को खारिज कर दिया। इसके बाद कई सुरक्षा एजेंसियों ने बॉम्बे उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएँ दायर कीं। इक्कीस एजेंसियों द्वारा पच्चीस रिट याचिकाएँ दायर की गई, जिनके मामलों की सिफारिश सलाहकार समिति द्वारा की गई थी और चार एजेंसियों जिनके मामलों की श्रम आयुक्त द्वारा सिफारिश की गई थी, को उच्च न्यायालय ने स्वीकार कर लिया था और बाकी को तुरंत खारिज कर दिया गया था। जिन पच्चीस रिट याचिकाओं को स्वीकार किया गया था, उन्हें भी अंततः 11 जुलाई, 1985 को एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया। पच्चीस सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई अपील पर, बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को छूट के लिए

आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया। सुरक्षा गार्ड बोर्ड और महाराष्ट्र सरकार की ओर से आपत्ति जताई गई कि सुरक्षा एजेंसियां अधिनियम की धारा 23 के तहत छूट नहीं मांग सकतीं, को खारिज कर दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि किसी भी सुरक्षा एजेंसी को छूट न देने के नीतिगत निर्णय के परिणामस्वरूप आवेदन खारिज कर दिए गए थे और यह गलत था। उच्च न्यायालय ने माना कि छूट के लिए प्रत्येक आवेदन पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाना चाहिए और उसका निपटारा किया जाना चाहिए। इसलिए सरकार को आवेदनों पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया है।

सुरक्षा गार्ड बोर्ड द्वारा जिसका गठन अधिनियम की धारा 6 धारा के तहत किया गया ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इन पच्चीस अपीलों को प्राथमिकता दी गई है।

अपीलकर्ता, ग्रेटर बॉम्बे और थाना जिले के सुरक्षा गार्ड बोर्ड के विद्वान वकील श्री केके सिंघवी ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 23 में किसी सुरक्षा एजेंसी के पक्ष में छूट देने पर विचार नहीं किया गया था और इसलिए छूट के लिए किये गये आवेदन केवल इसी आधार पर खारिज किए जाने योग्य थे। उन्होंने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का यह मानना गलत था कि किसी भी नीतिगत निर्णय के आधार पर आवेदन खारिज कर दिया गया। सभी आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करने के बाद

उन्हें खारिज कर दिया गया। यदि कोई नीतिगत निर्णय होता तो छूट के सभी आवेदनों पर विचार करने के बाद ऐसा निर्णय लिया जाता और कोई भी आवेदन अनुमति देने योग्य नहीं होता। श्री सोली सोराबजी और अन्य विद्वान वकील, जिन्होंने उनका अनुसरण किया, ने तर्क दिया कि अधिनियम में एजेंसी प्रणाली के उन्मूलन पर विचार नहीं किया गया था और इसका उद्देश्य केवल सुरक्षा गार्डों के लिए सेवा की बेहतर शर्तों को विनियमित करना और प्रदान करना था। जहां भी सेवा की शर्तें योजना के तहत प्रस्तावित शर्तों से बेहतर थीं, सरकार का कर्तव्य था कि वह आवश्यक छूट दे ताकि कर्मचारियों को सेवा की लाभप्रद शर्तों का लाभ मिल सके। उनके अनुसार, यह परिणाम अधिनियम की धारा 22 व 23 के विशेष रूप से अवलोकन से निकला। यह भी आग्रह किया गया कि उच्च न्यायालय अपने निष्कर्ष पर सही था कि छूट के लिए आवेदन योग्यता के आधार पर नहीं बल्कि नीतिगत निर्णय के कारण खारिज कर दिए गए थे।

अब हम महाराष्ट्र निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार का विनियमन एवं कल्याण) अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के संदर्भ में प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। अधिनियम से पहले के अध्यादेश की प्रस्तावना में कहा गया था, "..और जबकि महाराष्ट्र के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हैं जो उन्हें विनियमित करने के लिए कानून बनाने के लिए तत्काल कार्रवाई करना

आवश्यक बनाती हैं, महाराष्ट्र राज्य में कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डों के रोजगार और उनके रोजगार और कल्याण के नियमों और शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करने के लिए, एक बोर्ड की स्थापना के माध्यम से, और उससे जुड़े मामलों के लिए.....।अधिनियम का लंबा शीर्षक है, "एक अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में कारखानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत निजी सुरक्षा गार्डों के रोजगार को विनियमित करने और एक बोर्ड की स्थापना के माध्यम से उनके रोजगार और कल्याण के नियमों और शर्तों के लिए बेहतर प्रावधान करने और उससे जुड़े मामलों के लिए,'' अधिनियम की धारा 1(4) अधिनियम को "उन व्यक्तियों पर जो किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करते हैं, लेकिन जो मामले के अनुसार कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रत्यक्ष और नियमित कर्मचारी नहीं हैं।" लागू करती है, धारा 2(1), (3), (4), (5), (8) और (10) अभिव्यक्ति "एजेंसी "नियोक्ता , "स्थापना , "फैक्टरी , "प्रधान नियोक्ता और "सुरक्षा गार्ड को परिभाषित करता है। जो इस प्रकार है:-

सुरक्षा गार्ड के संबंध में "एजेंसी , या "एजेंट", का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय या एक कॉर्पोरेट निकाय, जो किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान के लिए किसी भी सुरक्षा कार्य को निष्पादित करने या निगरानी करने का कार्य करने के लिए ऐसे सुरक्षा गाई को नियुक्त करके भाड़े पर या अन्यथा गार्ड, या जो समूहों में या व्यक्तिगत रूप से ऐसे सुरक्षा गार्डों की

आपूर्ति करता है, और इसमें एक उप-एजेंसी या एक उप-एजेंट शामिल है; किसी एजेंसी या एजेंट द्वारा या उसके माध्यम से लगाए गए सुरक्षा गार्ड के संबंध में "नियोक्ता" का अर्थ है प्रमुख नियोक्ता, और किसी अन्य सुरक्षा गार्ड के संबंध में, वह व्यक्ति जिसका कारखाने या प्रतिष्ठान के मामलों पर अंतिम नियंत्रण होता है और इसमें कोई भी अन्य व्यक्ति शामिल होता है जिसे ऐसे कारखाने या प्रतिष्ठान के मामले सौंपे गए हैं, चाहे ऐसे व्यक्ति को एजेंट, प्रबंधक या कारखाने या प्रतिष्ठान में प्रचलित किसी अन्य नाम से बुलाया जाए;

"स्थापना" का अर्थ बॉम्बे दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (8) में परिभाषित एक प्रतिष्ठान है;

"फ़ैक्टरी" का अर्थ एक फ़ैक्टरी है जैसा कि फ़ैक्टरी अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (एम) में परिभाषित है।

"प्रधान नियोक्ता" का अर्थ ऐसे नियोक्ता से है जिसने किसी एजेंसी या एजेंट के माध्यम से सुरक्षा गार्ड नियुक्त किए हैं;

"सुरक्षा गार्ड" या "निजी सुरक्षा गार्ड" का अर्थ एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में सुरक्षा कार्य करने या निगरानी रखने के लिए किसी एजेंसी या एजेंट के माध्यम से लगा हुआ है या लगाया जाना है, चाहे वह मजदूरी के लिए हो या नहीं और, इसमें कोई भी व्यक्ति शामिल है, जो किसी नियोक्ता या एजेंसी या एजेंट द्वारा नियोजित नहीं है, लेकिन

नियोक्ता या एजेंसी या एजेंट की अनुमति से या उसके साथ एक समझौते के तहत काम कर रहा है, लेकिन इसमें किसी भी नियोक्ता के परिवार के सदस्य शामिल नहीं हैं या कोई भी व्यक्ति जो मुख्य नियोक्ता का प्रत्यक्ष और नियमित कर्मचारी है;"

धारा 3 राज्य सरकार को कारखानों और प्रतिष्ठानों में सुरक्षा गार्डों की पर्याप्त आपूर्ति और पूर्ण और उचित उपयोग सुनिश्चित करने और आम तौर पर ऐसे श्रमिकों के रोजगार के नियमों और शर्तों में बेहतर प्रावधान करने के लिए एक या अधिक योजनाएं बनाने का अधिकार देती है एवं उसके साथ न्यायोक्ता के पंजीकरण,

किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में सुरक्षा गार्ड और पंजीकृत सुरक्षा गार्ड के रोजगार के नियम और शर्तें और ऐसे सुरक्षा गार्ड के सामान्य कल्याण के लिए प्रावधान करना करती है। इस योजना के मामलों के संबंध धारा 3(2) (ए) से (एन) में प्रावधान निर्धारित किए गए हैं। हम धारा 3(2) के खंड (डी) का उल्लेख कर सकते हैं जो विशेष रूप से रोजगार के नियमों और शर्तों से संबंधित है, जिसमें मजदूरी की दरें, काम के घंटे, मातृत्व लाभ, ओवर-टाइम भुगतान, वेतन के साथ छुट्टी, ग्रेच्युटी का प्रावधान और साप्ताहिक और अन्य छुट्टियों और भुगतान की शर्तें शामिल हैं। हमें यहां धारा 3(2)(जी) के प्रावधान को भी उल्लेख करना चाहिए जो उन सुरक्षा गार्डों के रोजगार को प्रतिबंधित या अन्यथा नियंत्रित करना

जिन पर योजना लागू नहीं होती है और जिन नियोक्ताओं पर योजना लागू नहीं होती है उनके द्वारा सुरक्षा गार्डों के रोजगार को प्रतिबंधित करना या अन्यथा नियंत्रित करने की योजना प्रतिबंधित कर सकती है। धारा 3(3) में यह प्रावधान है कि योजना के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन के लिए कारावास या जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। धारा 4 किसी योजना को बनाने, बदलने या रद्द करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है। धारा 6 किसी भी क्षेत्र में सुरक्षा गार्डों के लिए एक बोर्ड के गठन का प्रावधान करता है। धारा 8 बोर्ड की शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है।धारा 15 एक सलाहकार समिति के गठन का प्रावधान करता है। धारा 19, 20 और 21 सुरक्षा गार्डों को मुआवजा अधिनियम, वेतन भुगतान अधिनियम और मातृत्व लाभ अधिनियम के आवेदन के लिए प्रावधान करते हैं। धारा 22 और 23 महत्वपूर्ण हैं - धारा 22 मौजूदा अधिकारों और विशेषाधिकारों के संरक्षण का प्रावधान करता है यदि वे अधिक अनुकूल है और धारा 23 अधिनियम के प्रावधानों से छूट का प्रावधान करता है। ये प्रावधान हमारे वर्तमान उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वे इस प्रकार हैं:-

"22. इस अधिनियम में शामिल कोई भी बात किसी भी अधिकार या विशेषाधिकार को प्रभावित नहीं करेगी, जो किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी पंजीकृत सुरक्षा गार्ड, किसी अन्य कानून, अनुबंध, रूढि या प्रथा के तहत इस अधिनियम के लागू होने की तारीख पर

पाने का हकदार है। ऐसे सुरक्षा गार्ड पर लागू उपयोग, यदि ऐसे अधिकार या विशेषाधिकार उसके लिए उन लोगों से अधिक अनुकूल हैं जिनके लिए वह इस अधिनियम और योजना के तहत हकदार होगा:

बशर्ते, ऐसा सुरक्षा गार्ड इस अधिनियम और योजना के प्रावधानों के तहत कोई भी संबंधित लाभ प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

23. राज्य सरकार, सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और ऐसी शर्तों के अधीन और ऐसी अवधि के लिए जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, इस अधिनियम या उसके तहत बनाई गई किसी भी योजना के सभी या किसी प्रावधान के संचालन से, किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में या किसी भी वर्ग या वर्गों में कार्यरत सभी या किसी वर्ग या वर्गों के सुरक्षा गार्डों को कारखानों या प्रतिष्ठानों में, यदि राज्य सरकार की राय में, ऐसे सभी सुरक्षा गार्ड या ऐसे वर्ग या सुरक्षा गार्डों के वर्ग लाभों का आनंद ले रहे हैं, जो कुल मिलाकर ऐसे सुरक्षा गार्डों के लिए जो इस अधिनियम या इसके तहत बनी किसी योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों से कम अनुकूल नहीं हैं तो राज्य सरकार छूट दे सकती है:

बशर्ते कि, ऐसी कोई भी अधिसूचना जारी होने से पहले, राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने के अपने इरादे की एक सूचना प्रकाशित करेगी, और उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करेगी

और ऐसी कोई अधिसूचना तब तक जारी नहीं की जाएगी जब तक कि आपत्तियों और सुझावों पर विचार नहीं किया जाता है और आधिकारिक राजपत्र में नोटिस के पहले प्रकाशन की तारीख से एक महीने की अवधि बीत चुकी है:

बशर्ते कि, राज्य सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, किसी भी समय, निर्दिष्ट कारणों से, उपरोक्त अधिसूचना को रद्द कर सकती है।"

अधिनियम की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में और सलाहकार समिति से परामर्श करने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने निजी सुरक्षा गार्ड (रोजगार और कल्याण का विनियमन) योजना, 1981 बनाई। योजना के पैराग्राफ 11 में बोर्ड को (1) नियोक्ताओं का एक रजिस्टर और (2) एक पूल रजिस्टर जो सुरक्षा गार्डों का रजिस्टर होगा, यह दो रजिस्टर्स बनाये रखने की आवश्यकता है। पैराग्राफ 12 बोर्ड को समय-समय पर उसके द्वारा निर्धारित उपयुक्त श्रेणियों में सुरक्षा गार्डों के वर्गीकरण की व्यवस्था करने का अधिकार देता है। पैराग्राफ 14 के अनुसार 'प्रत्येक नियोक्ता, जिसने नियत दिन पर या उसके बाद किसी भी समय निजी सुरक्षा गार्डों को नियुक्त किया है, को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करके बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत कराना' आवश्यक है। योजना के प्रारंभ होने के बाद अस्तित्व में आने वाले किसी प्रतिष्ठान के नियोक्ता को अपना व्यवसाय शुरू करने के

साथ-साथ पंजीकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। पैराग्राफ 15 के अनुसार 'किसी भी सुरक्षा गार्ड जो नियत दिन पर या उसके बाद किसी भी समय उस क्षेत्र में रोजगार में काम कर रहा था जहां योजना लागू होती है' को निर्धारित फॉर्म में 'बोर्ड में आवेदन करने' की आवश्यकता है। अनुच्छेद 25 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत सुरक्षा गार्ड को योजना की बाध्यता को स्वीकार किया हुआ माना जाएगा। पूल में पंजीकृत सुरक्षा गार्ड जो काम के लिए उपलब्ध है, उसे किसी भी पंजीकृत नियोक्ता के तहत रोजगार के लिए खुद को संलग्न नहीं करना होगा जब तक कि उसे बोर्ड के सचिव द्वारा उस नियोक्ता को आवंटित नहीं किया जाता है। पूल में पंजीकृत सुरक्षा गार्ड जो काम के लिए उपलब्ध है, उसे बोर्ड के निर्देशों का पालन करना होगा और किसी भी पंजीकृत नियोक्ता के तहत रोजगार स्वीकार करना होगा जिसके लिए उसे बोर्ड द्वारा उपयुक्त माना जाता है। पैराग्राफ 26 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत नियोक्ता योजना के दायित्वों को स्वीकार करेगा। एक पंजीकृत नियोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह सचिव द्वारा उसे आवंटित किए गए सुरक्षा गार्ड के अलावा किसी अन्य सुरक्षा गार्ड को नियुक्त न करे। हालाँकि, एक पंजीकृत नियोक्ता सीधे सुरक्षा गार्ड को नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। एक पंजीकृत नियोक्ता को सुरक्षा गार्ड को वेतन और अन्य भत्ते सीधे वितरित करने की आवश्यकता होती है यदि बोर्ड द्वारा उसे निर्देशित किया गया है और निर्धारित समय के भीतर बोर्ड को ऐसे भुगतान का विवरण भेजना होता है। अनुच्छेद 27 एक पंजीकृत नियोक्ता

द्वारा सुरक्षा गार्ड के रोजगार पर रोक लगाता है जब तक कि सुरक्षा गार्ड एक पंजीकृत सुरक्षा गार्ड या सीधे नियोजित सुरक्षा गार्ड न हो। पैराग्राफ 29 सुरक्षा गार्डों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तों के लिए विस्तृत प्रावधान करता है। पैराग्राफ 30 सुरक्षा गार्डों को वेतन और अन्य भत्ते के संवितरण का प्रावधान करता है। पैराग्राफ 31 अनुशासनात्मक प्रक्रिया का प्रावधान करता है। पैराग्राफ 32, योजना के प्रावधानों के अनुसार छोड़कर, पंजीकृत सुरक्षा गार्ड के रोजगार की समाप्ति पर रोक लगाता है। अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 अपील और समाप्ति का प्रावधान करते हैं। अनुच्छेद 35 पुनरीक्षण के लिए प्रदान करता है। पैराग्राफ 37 योजना के संचालन की लागत का प्रावधान करता है और पंजीकृत सुरक्षा गार्डों के लिए सुविधाओं और लाभों का प्रावधान करता है।

धारा 1(4) से स्पष्ट है और 'सुरक्षा गार्ड' की परिभाषा यह है कि अधिनियम और, इसलिए, योजना उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होती है जो किसी कारखाने या प्रतिष्ठान के प्रत्यक्ष और नियमित कर्मचारी हैं, बल्कि केवल किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में काम करने वाले ऐसे व्यक्तियों पर लागू होते हैं जो किसी एजेंसी या एजेंट के माध्यम से लगे हुए हैं या लगाए जाने वाले हैं और ऐसे व्यक्ति जो नियोक्ता या एजेंसी या एजेंट द्वारा नियोजित नहीं हैं लेकिन उनकी अनुमति से या उनके साथ एक समझौते के तहत काम कर रहे हैं। हमने देखा है कि धारा 23, अधिनियम के सभी

या किसी प्रावधान या उसके तहत बनाई गई किसी भी योजना के संचालन से सभी या किसी भी वर्ग या वर्गों के सुरक्षा गार्डों को किसी भी कारखाने या प्रतिष्ठान में या कारखानों या प्रतिष्ठानों की श्रेणियाँ से छूट प्रदान करता है ।" इस बात पर संतुष्ट होने की मूल शर्त यह है कि राज्य सरकार की राय होनी चाहिए कि "ऐसे सभी सुरक्षा गार्ड या ऐसे वर्ग या सुरक्षा गार्डों के वर्ग जो लाभ का आनंद ले रहे हैं, वह इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई किसी भी योजना द्वारा या इसके तहत प्रदान किए गए लाभ से कम अनुकूल नहीं हैं। धारा 23 की बारीकी से जांच, विशेषकर धारा 1(4) को ध्यान में रखते हुए अगर 'सुरक्षा गार्ड' की परिभाषा के साथ पढ़ें, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि छूट किसी एजेंसी या एजेंट या यहां तक कि एक कारखाने या प्रतिष्ठान या किसी वर्ग या कारखानों या प्रतिष्ठानों के वर्गों में के संबंध में नहीं है, बल्कि किसी कारखाने में कार्यरत सभी या किसी भी वर्ग या श्रेणियों के सुरक्षा गार्डों के संबंध में है। दूसरे शब्दों में, छूट किसी कारखाने या प्रतिष्ठान या कारखानों या प्रतिष्ठानों के किसी वर्ग या वर्गों में कार्यरत 'सुरक्षा गार्ड' के संबंध में है। छूट किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में या किसी वर्ग या कारखानों या प्रतिष्ठानों के वर्गों में कार्यरत सभी सुरक्षा गार्डों के संबंध में या इस प्रकार नियोजित सुरक्षा गार्डों के एक वर्ग या वर्गों के संबंध में हो सकती है। उदाहरण के लिए, कारखाने में कार्यरत सभी सुरक्षा गार्डों को छूट दी जा सकती है या किसी विशेष ग्रेड के या कारखाने में एक विशेष प्रकार का काम करने वाले सुरक्षा गार्डों को छूट दी जा

सकती है। कपड़ा मिलों जैसे कारखानों के एक वर्ग में कार्यरत सभी सुरक्षा गार्डों को भी छूट दी जा सकती है। सभी कपड़ा मिलों में एक विशेष प्रकार का काम करने वाले या एक विशेष वेतनमान प्राप्त करने वाले सभी सुरक्षा गार्डों को छूट दी जा सकती है। सुरक्षा गार्डों या वर्गों या सुरक्षा गार्डों, जिन्हें अधिनियम के संचालन से छूट दी जा सकती है, का सहसंबंध कारखाने या प्रतिष्ठान या कारखानों या प्रतिष्ठानों के वर्ग या वर्गों से है, जिसमें वे काम करते हैं, न कि एजेंसी या एजेंट से जिनके माध्यम से और जिनके द्वारा वे नियोजित हैं। हालाँकि, इस विश्लेषण का उन व्यक्तियों के सुने जाने के अधिकार (locus standi) के सवाल पर कोई असर नहीं पड़ता है जो छूट के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके हस्तक्षेप की मांग कर सकते हैं। जाहिर है कि किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में कार्यरत सुरक्षा गार्ड या वर्ग या सुरक्षा गार्ड उन्हें अधिनियम के संचालन से छूट देने के लिए सरकार से आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार कारखानों या प्रतिष्ठानों के वर्गों में कार्यरत सुरक्षा गार्ड या सुरक्षा गार्डों के वर्ग उन्हें अधिनियम के संचालन से छूट देने के लिए सरकार से आवेदन कर सकते हैं। फिर से, कोई कारखाना या प्रतिष्ठान या कारखानों या प्रतिष्ठानों का एक वर्ग या वर्ग अपने कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों को अधिनियम के संचालन से छूट देने के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। हालाँकि एजेंसियाँ या एजेंट सीधे तस्वीर में प्रवेश नहीं करते हैं, चूंकि सुरक्षा गार्ड की परिभाषा का अर्थ किसी एजेंसी या एजेंट के माध्यम से लगे या लगाए

जाने वाले व्यक्तियों से है, इसलिए इसमें यह माना जाना चाहिए कि जहां सुरक्षा गार्ड किसी कारखाने या प्रतिष्ठान या कारखानों या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग में उनके माध्यम से लगाए गए हैं या लगाए जाने हैं, ऐसी एजेंसी या एजेंट किसी कारखाने या प्रतिष्ठान या कारखानों या प्रतिष्ठानों के एक वर्ग में लगे या लगाए जाने वाले सभी सुरक्षा गार्डों को छूट देने के लिए सरकार को आवेदन भी कर सकते हैं। यहाँ सवाल अधिकार क्षेत्र (locus standi) का नहीं, बल्कि यह है कि क्या या किस वर्ग के सुरक्षा गार्डों को अधिनियम और योजना के संचालन से छूट दी जानी चाहिये। इसलिए, हमारा विचार है कि एक एजेंसी या एजेंट भी छूट देने के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है, लेकिन सरकार द्वारा दी जाने वाली छूट किसी एजेंसी या एजेंट के लिए नहीं है, बल्कि केवल किसी प्रतिष्ठान या कारखाने या कारखानों या प्रतिष्ठानों में कार्यरत सुरक्षा गार्डों के लिए है।

विद्वान वकील के प्रतिविरोधों में से एक यह थी कि यदि धारा 23 को धारा 22 को ध्यान में रखते हुए पढ़े तो इसका मतलब यह होगा कि एक एजेंसी अपने माध्यम से नियोजित सभी सुरक्षा गार्डों के कृत्य के संचालन से छूट मांग सकती है। हम नहीं देखते कि यह कैसे होता है। वह सब धारा 22 वास्तव में प्रावधान यह है कि किसी भी पंजीकृत सुरक्षा गार्ड के अधिकारों या विशेषाधिकारों में उसके नुकसान के लिए बदलाव नहीं किया जाएगा। इसका मतलब केवल यह है कि यदि अब तक एजेंसी के

एक कर्मचारी के रूप में अगर उसकी सेवाओं के नियम और शर्तें, जो कारखाने या प्रतिष्ठान के तहत और अधिनियम और योजना द्वारा प्रस्तावित सेवा के नियमों और शर्तों की तुलना में अधिक आकर्षक थीं, तो मूल नियम और सेवा की शर्तें संरक्षित रहेंगी और कारखाने या प्रतिष्ठान की उनकी सेवा पर लागू होंगी। विद्वान वकील द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि अधिनियम और योजना, एजेंसी और सुरक्षा गार्ड के बीच रोजगार के अनुबंध को समाप्त करने या सुरक्षा गार्ड की सेवाओं को एजेंसी के रोजगार से कारखाने या प्रतिष्ठान में स्थानांतरित करने का प्रावधान नहीं करती है। हम सबमिशन से सहमत नहीं हैं। आवश्यक निहितार्थ से, बोर्ड द्वारा आवंटन पर सुरक्षा गार्डों की सेवाएँ कारखाने या प्रतिष्ठान की सेवा में स्थानांतरित कर दी जाएंगी। अन्य बातों के अलावा, इसी तरह से सुरक्षा गार्डों को सेवा की सुरक्षा प्रदान की जाती है।

उच्च न्यायालय का मानना था कि सभी आवेदन इस आधार पर खारिज कर दिए गए थे कि किसी भी मामले में छूट नहीं देने का नीतिगत निर्णय लिया गया था। हाई कोर्ट ने श्री राजाध्यक्ष के शपथपत्र पर भरोसा किया। श्री राजाध्यक्ष के शपथ पत्र में कहा गया कि छूट के आवेदनों पर सलाहकार समिति की राय मांगी गयी थी और सलाहकार समिति ने 21 आवेदकों के आवेदन की अनुशंसा की थी। बाद में चार अन्य आवेदकों के मामले की अनुशंसा श्रमायुक्त द्वारा की गयी। इन परिस्थितियों का जिक्र

करते हुए श्री राजाध्यक्ष ने शपथ पत्र में कहा.

"मैं कहता हूं कि उद्योग, ऊर्जा और श्रम विभाग द्वारा सलाहकार समिति से सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, मुख्यमंत्री, श्रम मंत्री और श्रम राज्य मंत्री के समक्ष सभी कागजात प्रस्तुत किए गए ताकि इस बात पर विचार करें कि क्या ऐसी अधिसूचना जारी करने के सरकार के इरादे की सूचना प्रकाशित की जाए और उसके संबंध में आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए जाएं। मैं कहता हूं कि समस्या के सभी नफा-नुकसान पर विचार करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री ने माननीय श्रम मंत्री और माननीय श्रम राज्य मंत्री के परामर्श से यह निर्णय लिया कि किसी भी एजेंसी जिन्होंने छूट के लिए आवेदन किया था, उन्हें उक्त अधिनियम की धारा 23 के तहत छूट नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि ऐसी छूट देना एजेंसियों के साथ कार्यरत सुरक्षा गार्डों के हित में नहीं होगा।"

बाद में फिर श्री राजाध्यक्ष ने कहा;

"मैं कहता हूं कि सिर्फ इसलिए कि सलाहकार समिति ने छूट के मामले की सिफारिश की थी, राज्य सरकार के लिए छूट के लिए अधिसूचना जारी करने के अपने इरादे की

सूचना प्रकाशित करना अनिवार्य नहीं था, जैसा कि उसमें आरोप लगाया गया है। मैं कहता हूं कि यह सरकार के लिए था कि पूरे मामले पर विचार करना और यह तय करना कि क्या ऐसी अधिसूचना जारी की जानी चाहिए या नहीं और यदि नीतिगत मामला है और पूरे मामले को देखने के बाद सरकार ने छूट नहीं देने का फैसला किया है तो राज्य सरकार के इस फैसले में कोई अपवाद नहीं लिया जा सकता है।"

हमने श्री राजाध्यक्ष के शपथपत्र को यह कहते हुए नहीं पढ़ा कि एक पूर्व निर्धारित नीतिगत निर्णय था जिसके अनुसार छूट के लिए सभी आवेदन योग्यता पर विचार किए बिना खारिज कर दिए गए थे। शपथपत्र के अभिसाक्षी के कहने का अभिप्राय यह था कि प्रत्येक मामले की खूबियों पर पूरी तरह से विचार किया गया और आवेदन खारिज कर दिए गए क्योंकि यह उनकी नीति थी कि अगर यह सुरक्षा गार्डों के हित में नहीं है तो छूट नहीं दी जाएगी; शिकायत की गई थी कि सरकार ने छूट के आवेदनों को खारिज करने के अपने कारण नहीं बताए। हमें नहीं लगता कि इस प्रकृति के मामलों में जहां अधिनियम के संचालन से छूट मांगी गई है, सरकार के लिए इसके कारण बताना आवश्यक है। निःसंदेह, यदि दुर्भावना या मनमानी का आरोप है, अदालत यह पता लगाने के लिए इस पर गौर

कर सकती है कि क्या इसमें कोई दुर्भावना है या सरकार का इनकार मनमाना था। हमें नहीं लगता कि वर्तमान मामलों में छूट देने से इनकार करने वाले आदेशों में कारण बताने में विफलता के एकमात्र आधार पर किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

परिणामस्वरूप सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं और उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। इस न्यायालय में एक एजेंसी द्वारा दायर सिविल रिट याचिका संख्या 12319/1985 को भी खारिज कर दिया गया है। महाराष्ट्र राज्य ने भी बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है। इसका निपटारा सिविल अपीलों की तरह ही किया जाता है।

कुछ सुरक्षा गार्डों की ओर से बॉम्बे उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई थी और इसे अपील के साथ निपटाने के लिए इस न्यायालय में वापस ले लिया गया है। कामगारों द्वारा दायर रिट याचिका में उठाए गए प्रतिविरोधों में से एक यह है कि यह योजना उन लोगों को रोजगार की कोई निरंतरता या गारंटी नहीं देती है जो पहले से ही एजेंसियों के माध्यम से कारखानों या प्रतिष्ठानों में काम कर रहे हैं। हमें बोर्ड के विद्वान वकील श्री केके सिंघवी ने आश्वासन दिया है कि प्रत्येक व्यक्तिगत पंजीकृत सुरक्षा गार्ड जो पहले किसी कारखाने या प्रतिष्ठान में काम कर रहा था, उसे उसी कारखाने या प्रतिष्ठान में आवंटित किया जाएगा और यदि

उसकी सेवा के नियमों और शर्तों का कुल पैकेज बोर्ड द्वारा प्रस्तावित सेवा के नियम और शर्तें से बेहतर था, तो ऐसे व्यक्ति को सेवा के पिछले नियमों और शर्तों पर नियोजित किया जाना चाहिए।श्री सिंघवी के आश्वासन को हमारे आदेश का हिस्सा बनाया गया है। कामगारों के विद्वान वकील ने यह भी आग्रह किया कि योजना के तहत सुरक्षा गार्ड को पंजीकृत करने से पहले 'कैपिटेशन शुल्क' (capitation fee) का भुगतान करने और एक यूनियन द्वारा प्रायोजित करने पर जोर दिया गया था। निःसंदेह, अधिनियम या योजना के तहत इसकी अनुमति नहीं है और जो भी इस पर आग्रह कर रहा है, वह ऐसा करना बंद कर देगा।

अपीलें स्वीकार।

यह अनुवाद और्टिफिशल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री यश विशनोई (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।